

डाक/ई-मेल

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग
उर्दू निदेशालय

प्रेषक,

एस०एम० परवेज़ आलम,
अपर सचिव-सह-निदेशक।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
सभी अनुमंडल पदाधिकारी,
सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक-.....

विषय :- उर्दू निदेशालय के अधीन नियुक्त एवं कार्यरत उच्चवर्गीय लिपिक (उर्दू/हिन्दी) के ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० के पश्चात् वेतन निर्धारण एवं तत्संबंधी न्यायादेश का अनुपालन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि उर्दू निदेशालय, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय कार्यालयों यथा समाहरणालय (जिला उर्दू भाषा कोषांग), अनुमंडल कार्यालय एवं प्रखंड कार्यालयों में पदस्थापित उच्चवर्गीय लिपिकों (उर्दू/हिन्दी) को वित्त विभागीय परामर्श के आलोक में विभागीय आदेश संख्या-04, सहपठित ज्ञापांक-50, दिनांक-19.01.2017 द्वारा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० को वेतनमान-9300-34800 एवं ग्रेड पे-4600/-, 4800/- एवं 5400/- रुपये में दिनांक-28.04.2014 के प्रभाव से उत्क्रमित किया गया था।

2. वित्त विभागीय समीक्षोपरांत सहमति वापस लिये जाने के कारण उक्त उत्क्रमित वित्तीय उन्नयन के लाभ दिये जाने से संबंधित विभागीय आदेश संख्या-04, सहपठित ज्ञापांक-50, दिनांक-19.01.2017 को रद्द करते हुए विभागीय आदेश संख्या-56, सहपठित ज्ञापांक-459, दिनांक-03.07.2017 द्वारा उच्चवर्गीय लिपिकों (उर्दू/हिन्दी) को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० का लाभ क्रमशः वेतनमान-5200-20200, ग्रेड पे-2800, वेतनमान-9300-34800, ग्रेड पे-4200 एवं वेतनमान-9300-34800, ग्रेड पे-4600 में अनुमान्य किया गया है। साथ ही पूर्व में उत्क्रमित वित्तीय उन्नयन के आधार पर लिये गये अधिक वेतनादि की राशि की वसूली का आदेश दिया गया है।

3. विदित हो कि कतिपय उच्चवर्गीय लिपिकों (उर्दू/हिन्दी) ने विभागीय आदेश संख्या-56, सहपठित ज्ञापांक-459, दिनांक-03.07.2017 द्वारा संशोधित अनुमान्य ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० दिये जाने तथा पूर्व में उत्क्रमित वित्तीय उन्नयन के आधार पर लिये गये अधिक वेतनादि की राशि की वसूली का आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में याचिका दायर की गयी है, जिसमें मुख्य रूप से CWJC No.-14038/2017 उपेन्द्र ठाकुर बनाम बिहार राज्य एवं अन्य तथा CWJC No.-8358/2017 अरविन्द कुमार झा बनाम बिहार राज्य एवं अन्य है। उक्त याचिका के अतिरिक्त उच्चवर्गीय लिपिकों द्वारा व्यक्तिगत रूप से भी कतिपय याचिका दायर की गयी है।

4. विभागीय आदेश संख्या-56, सहपठित ज्ञापांक-459, दिनांक-03.07.2017 में पूर्व में निकासी की गयी अधिक वेतनादि की राशि की वसूली के आदेश पर CWJC No.-14038/2017 उपेन्द्र ठाकुर बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में अंतरिम रूप से दिनांक-13.11.2017 को पारित न्यायादेश में अगले आदेश तक रोक लगायी गयी है। इसी प्रकार CWJC No.-8358/2017 अरविन्द कुमार झा बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक-21.06.2017 को पारित न्यायादेश में भी वसूली के आदेश पर रोक लगायी गयी है। उच्चवर्गीय लिपिकों (उर्दू/हिन्दी) द्वारा व्यक्तिगत रूप से दायर कतिपय याचिका में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश में भी वसूली के आदेश पर रोक लगायी गयी है।

5. उक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में निदेशानुसार अनुरोध है कि उर्दू निदेशालय, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय कार्यालयों में पदस्थापित उच्चवर्गीय लिपिकों (उर्दू/हिन्दी) को विभागीय आदेश संख्या-56, सहपठित ज्ञापांक-459, दिनांक-03.07.2017 द्वारा अनुमान्य किये गये प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० का लाभ क्रमशः वेतनमान-5200-20200, ग्रेड पे-2800, वेतनमान-9300-34800, ग्रेड पे-4200 एवं वेतनमान-9300-34800, ग्रेड पे-4600 के अनुरूप वेतन संशोधित किया जाय, परन्तु पूर्व में वर्धित दर पर प्राप्त की गयी अधिक वेतनादि की राशि की वसूली विषयांकित वाद में अंतिम आदेश पारित होने तक स्थगित रखा जाय, ताकि माननीय न्यायालयीय आदेश का अनुपालन किया जा सके।

6. इसमें विभागीय अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(एस०एम० परवेज आलम)

अपर सचिव-सह-निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- उ०नि०-37/2025.....1744/

पटना, दिनांक-01.09.26

प्रतिलिपि :- सभी प्रभारी पदाधिकारी, जिला उर्दू भाषा कोषांग, समाहरणालय को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई०टी० मैनेजर, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(एस०एम० परवेज आलम)

अपर सचिव-सह-निदेशक।

[Signature]